उत्तर प्रदेश सरकार
नगर विकास अनुभाग – 9
संख्या – 26 बी/11–9–87–1 न0पा/86
लखनऊ, दिनांक 21 जनवरी, 1987

अधिसूचना

यू0पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट,1916 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 2,1916 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके तथा अधिसूचना संख्या 8725बी/11–9–86–1 न0पा0/86 दिनांक 8 दिसम्बर 1986 के कम में राज्यपाल उक्त ऐक्ट की धारा 4 की उपधारा (1)की अपेक्षानुसार पूर्व प्रकाशन के पश्चात उस स्थानीय क्षेत्र को,जो इस अधिसूचना के दिनांक की टाउन एरिया बाजपुर,जिला–नैनीताल के अर्न्तगत था दिनांक 27–1–87 से चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका (म्यूनिसिपैलिटी) घोषित करते हैं तथा उक्त ऐक्ट की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के अधीन इस नगरपालिका की वही सीमायें निर्धारित करते हैं जो उक्त टाउन एरिया की थी।

आज्ञा से,
राम बाबू
विशेष सचिव ।

संख्या – 26(1)बी/11–9–87– 1न0पा0/86

प्रतिलिपि : संयुक्त अधीक्षक,रा0मु0 एंव लेखन सामग्री,राजकीय प्रेस, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद के साथ इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की असाधारण गजट दिनांक 27–1–87 के विधायी परिशिष्ट के भाग – 4 के खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 50 प्रतियॉ शासन को तुरन्त भेजने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
2– आयुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
3– जिला मजिस्ट्रेड नैनीताल।
4– प्रभारी अधिकारी टाउन एरिया, बाजपुर, जिला नैनीताल।
5– अधीक्षक स्थानीय निधि व लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद।

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित।
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बाजपुर (उ0सिं0न0

आज्ञा से,
ह0 असपष्ट
(प्यारे मोहन)
अनु सचिव

सत्यापित
1/11/19
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बाजपुर (ऊधम सिंह नगर)

Scanned with CamScanner